



प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 30.09.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 30.09.2026 को कुल 01 अभियोग में सजा करायी गयी है।

1. थाना-इकदिल

मा0 न्याया0 एडीजे/एफटीसी-1 कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्तगणों 1.रविन्द्र सिंह पुत्र वृन्दावन 2. अरुण कुमार पुत्र बन्टू पुत्र रविन्द्र सिंह 3.निवासी शकुन्तला पत्नी रविन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम दलप थाना इकदिल जनपद इटावा को आजीवन कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 20,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना इकदिल पैरोकार व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्याया0 एडीजे/एफटीसी-1 कोर्ट इटावा द्वारा 03 अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 20,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- थाना इकदिल क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्तगणों द्वारा वादी की बहन की हत्या कर देने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना इकदिल पर दिनांक 03.04.2024 को मु0अ0सं0 101/2024 धारा- 302/34 भादवि में पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुए दिये गये निर्देशानुसार थाना इकदिल पुलिस टीम, पैरोकार हे0का0 मुलायम सिंह व मानीटरिंग सैल टीम व एडीजीसी श्री अजीत सिंह तोमर द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक 30.09.2026 को मु0अ0सं0 101/2024 धारा- 302/34 भादवि में मा0 न्याया0एडीजे/एफटीसी-1 कोर्ट इटावा द्वारा 03 अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 20,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. रविन्द्र सिंह पुत्र वृन्दावन, निवासी ग्राम दलप थाना इकदिल जनपद इटावा।
2. अरुण कुमार उर्फ बन्टू पुत्र रविन्द्र सिंह, निवासी ग्राम दलप थाना इकदिल जनपद इटावा।
3. शकुन्तला पत्नी रविन्द्र सिंह, निवासी ग्राम दलप थाना इकदिल जनपद इटावा।